



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 18 अगस्त, 2021

श्रावण 27, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं रसद अनुभाग-1

संख्या 516/29-1-2021-670-2020

लखनऊ, 18 अगस्त, 2021

अधिसूचना

प0आ0-272

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित डिफेन्स ऑफ इण्डिया रूल्स, 1971 के नियम 114 के उप-खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल अधिसूचना संख्या 16000/29-ई0सी0आई0-58-बीके-71, दिनांक 9 दिसम्बर, 1971 द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश ब्रिक्स कण्ट्रोल आर्डर, 1971 को विखण्डित करती हैं, सिवाय उन संदर्भित चीजों के, जो की जा चुकी हों या ऐसे विखण्डन के पूर्व किये जाने हेतु छूट चुकी हों।

आज्ञा से,
वीना कुमारी,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 516/XXIX-1-2021-670-2020, dated August 18, 2021:

No. 516/XXIX-1-2021-670-2020

Dated Lucknow, August 18, 2021

IN exercise of the powers under sub-clause (2) of rule 114 of the Defence of India Rules, 1971, *read with* section 21 of the General Clauses Act, 1897(Act no.10 of 1897), the Governor is pleased to rescind the Uttar Pradesh Bricks Control Order, 1971 published *vide* Notification no. 16000/29-E.C.I.-58-BK-71, dated December 9, 1971 except as respects things done or *omitted* to be done before such rescission.

By order,
VEENA KUMARI,
Pramukh Sachiv.